

सामुदायिक वन संसाधन

प्रलिस के लयः

सामुदायिक वन संसाधन, आरकषति वन, संरकषति वन, अभयारण्य और राषुड्रीय उदयान ।

मेनुस के लयः

वन अधकार अधनियम और संबधति मामले, सामुदायिक वन संसाधन अधकार एवं मान्यता का महत्त्व, अनुसूचति जातयों व अनुसूचति जनजातयों से संबधति मुदुदे, सामाजक कषेतर/सेवाओं का प्रबधन ।

चरुा में क्योँ?

छतुतीसगढ देश का दुसरा राज्य बन गया है जसिने कांगेर घाटी राषुड्रीय उदयान के अंदर एक गाँव के सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधकारों को मान्यता दी है ।

- जबक CFR अधकार जो क महत्त्वपूरण सशकतीकरण उपकरण हैं, पर वभिनिन गाँवों के बीच उनकी पारंपरक सीमाओं के बारे में सहमतप्राप्त करना अकसर चुनौती साबति होता है ।
- वर्ष 2016 में ओडशिया सरकार [समिलीपाल राषुड्रीय उदयान](#) के अंदर सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी ।

कांगेर घाटी राषुड्रीय उदयान की मुखय वशैषताएँ:

- कांगेर घाटी राषुड्रीय उदयान छतुतीसगढ राज्य के बसुतर ज़िले (जगदलपुर के पास) में सुथति है ।
- कांगेर घाटी राषुड्रीय उदयान को कांगेर घाटी राषुड्रीय उदयान के रूप में भी जाना जाता है ।
- इसे वर्ष 1982 में राषुड्रीय उदयान के रूप में घोषति कयिा गया था । पारुक का कुल कषेतरफल लगभग 200 वर्ग कलिमीटर है ।
- राषुड्रीय उदयान कांगेर नदी की घाटी पर सुथति है । पारुक का नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस संपूरण घाटी में प्रवाहति होती है ।
- पारुक एक वशिषुट मशिरति [आरदुर परणपाली प्रकर का वन](#) है, जसिमें साल, सागौन और बाँस के पेड बहुतायत में पाए जाते हैं ।
- इस कषेतर की सबसे लोकप्रयि पकषी प्रजाति [बसुतर मैना](#) है जो अपनी मानव जैसी आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है ।

National Parks & Sanctuaries of Chhattisgarh



सामुदायिक वन संसाधन (CFR) क्या हैं?

परिचय:

- यह सामान्य वन भूमि है जैसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है।
- समुदाय द्वारा इसका उपयोग गाँव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच एवं ग्रामीण समुदायों के मामले में परदृश्य के मौसमी उपयोग के लिये किया जाता है।
- प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गाँवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है।

श्रेणियाँ:

- इसमें किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं- राजस्व वन, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, डीमड वन, ज़िला समिति भूमि (DLC), आरक्षण वन, संरक्षण वन, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आदि।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार:

- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम या FRA के रूप में संदर्भित), 2006 की धारा 3 (1)(आई) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को संरक्षण, पुनः उत्पन्न या संरक्षण या प्रबंधित करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं।
- ये अधिकार समुदाय को वनो के उपयोग के लिये स्वयं और दूसरों के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।
- CFR अधिकार, धारा 3 (1) (बी) और 3 (1) (सी) के तहत सामुदायिक अधिकारों (CR)** के साथ, जिसमें नसितार अधिकार (रियासतों या ज़मींदारी आदि में पूर्व उपयोग किये जाने वाले) और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं।
- ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं।

CFR अधिकार मान्यता का लाभ:

वन समुदायों हेतु न्याय:

- इसका उद्देश्य वनों पर उनके प्रथागत अधिकारों की कटौती के परिणामस्वरूप वन-आश्रित समुदायों के साथ हुए "ऐतिहासिक अन्याय" की भरपाई करना है।
- यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह समुदाय के वन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार के साथ-साथ खेती व नविस के लिये उपयोग की जाने वाली वन भूमि को कानूनी रूप से धारण करने के अधिकार को मान्यता देता है।

वनवासियों की भूमिका:

- यह वनो की स्थिरता और जैवविविधता के संरक्षण में वनवासियों की अभिन्न भूमिका को भी रेखांकित करता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों जैसे संरक्षित वनों के लिये इसका अधिक महत्त्व है क्योंकि पारंपरिक निवासी अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके संरक्षित वनों के प्रबंधन का हिसा बन जाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम:

- वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में नविस करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, नविस व अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।
- यह वन में नविस करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में नविस कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनो के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।
- ग्राम सभा को व्यक्तगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों को FDST और OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।

वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।
- भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से नज़र लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" को वन अधिकार अधिनियम, 2006 में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्रों के रूप में परभाषित किया जाता है, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। अतः कथन 1 सही है।
- बैगा समुदाय (मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में) भारत में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पर्यावास अधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्षों से वनों पर राज्य के बढ़ते नियंत्रण और वन भूमिस्वरूप में परिवर्तन, विकास एवं संरक्षण से इन वन समुदायों को गंभीर रूप से खतरा है। अतः वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजात के पर्यावास अधिकारों को मान्यता प्रदान की, यह जनजात भारत में पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला समुदाय बन गया है। अतः कथन 2 सही है।
- PVTGs के पर्यावास अधिकारों को राज्यों में जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय PVTGs के संदर्भ में आवास अधिकारों की परभाषा के दायरे और सीमा को स्पष्ट करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

अतः विकल्प A सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/community-forest-resource>

